न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **216/2022** दायर दिनाँक **22.08.2022**

वादीगण

1. कानाराम पुत्र घमण्डाराम
2. सोहनीदेवी पत्नी स्व. शंकरराम
3. रामनिवास पुत्र स्व. शंकरराम
4. कुनाराम पुत्र स्व. शंकरराम
5. हरीराम पुत्र स्व. शंकरराम
6. रामानन्द पुत्र स्व. शंकरराम
7. सुमन पुत्री स्व. शंकरराम
   समस्त जाति मेघवाल निवासी सींवा तहसील लाडनूं जिला नागौर (राज.)
8. घेवरीदेवी पत्नी प्रभुराम
9. चुकीदेवी पत्नी शिवकरण
   समस्त जाति जाट निवासी बांठड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)

बनाम्

प्रतिवादी

1. राज. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री छोटूराम चौधरी वकील वादीगण।

–:: **निर्णय** ::–

दिनाँक **17.07.2025**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बांठड़ी, पटवार हल्का बिंचावा तहसील डीडवाना में पुराने खेत खसरा संख्या 495/219 रकबा 0.15 बीघा, खसरा संख्या 587/219 रकबा 0.15 बीघा, खसरा संख्या 588/219 रकबा 1.10 बीघा अवस्थित हैं, जिनके नये खसरा संख्या 468 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 469 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 467 रकबा 0.2500 हैक्टेयर बने हैं। जिसकी खातेदारी व कब्जा काश्त वादीगण/प्रार्थीगण 01 व 8 ता 9 तथा वादीगण संख्या 2 ता 7 के पिता स्व. शंकरराम के नाम चला आ रहा है। राजस्व अभिलेख के नक्शा ट्रेश में वादीगण/प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 495/219, 587/219, 588/219 को उत्तरी दक्षिणी में दर्शाया गया है मगर नये खसरा नम्बर 468, 469, 467 को पुवी पश्चिमी में दर्शाया गया जिससे उक्त जायगा के पडोस व दिशा ही गलत हो गई और वादीगण/प्रार्थीगण के खेतों को गलत नक्शा ट्रेस में बता दिया। यद्यपि उक्त गलत नक्शा की खातेदारी तो वादीगण/प्रार्थीगण के नाम ही रखी गई और अधिकार भी वादीगण/प्रार्थीगण के निहित रहे परन्तु उक्त नये खसरा के नक्शा ट्रेस गलत बताने से वादीगण/प्रार्थीगण के विधिक अधिकार पर प्रभाव पडने की प्रबल संभावना हो चुकी है यद्यपि यह सामान्य राजस्व अभिलेख की त्रुटी मात्र है परन्तु उक्त गलत लिपीकीय त्रुटी व राजस्व अभिलेख की भूल की वजह से वादीगण/प्रार्थीगण के अभिलेख पर संकट [illegible] छा गये है। इसलिए वादी को पूराने राजस्व नक्शा अनुसार ही [illegible] व नक्शा दुरूस्त करवाने हेतु दावा बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का पेश करना लाजमी आया।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है:–

राजस्व ग्राम बांठड़ी, पटवार हल्का बिचावा तहसील डीडवाना में पुराने खेत खसरा संख्या 495/219, 587/219, 588/219 को ट्रेस नक्शा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:06:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

दर्शाया अनुसार नये खसरा नम्बर 468, 469, 467 को ट्रेस नक्शा में सही नहीं दर्शाया गया है, नक्शा ट्रेस में गलत दर्शा दिया। जो राजस्व नक्शो में व अभिलेख में दर्शित है उक्त नये खसरे की प्रविष्टि को व नक्शा में अंकन को पूर्ण रूप से हटाया जाकर इसका नक्शा पूर्वानुसार अंकित करने की डिक्री जारी करावे व इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख को दुरूस्त कर नक्शा ट्रेस में प्रविष्टि को सही कर नक्शा व अभिलेख दुरूस्त करने की डिक्री वादीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में जारी करने की कृपा करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार छोटी खाटू के पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/1220 दिनांक 15.07.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम बांठडी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमा. संवत 2073–2076 के अनुसार खसरा संख्या 467 रकबा 0.25 है. खातेदार कानाराम पुत्र घमण्डाराम जाति मेघवाल निवासी सींवा तहसील लाडनू , खसरा संख्या 468 रकबा 0.12 है. खातेदार घेवरदेवी पत्नी प्रभूराम हिस्सा 1/6 चूकीदेवी पत्नी शिवकरण हिस्सा 1/6 जाति जाट सा. देह शंकरराम पुत्र घीसाराम हिस्सा 2/3 जाति मेघवाल निवासी सींवा तहसील लाडनूं तथा खसरा संख्या 469 रकबा 0.12 है. खातेदार घेवरदेवी पत्नी प्रभूराम हिस्सा 1/2 चूकादेवी पत्नी शिवकरण हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह के नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज है। गत राजस्व रेकर्ड जमा. संवत् 2065–68 के अनुसार खसरा संख्या 465/219 रकबा 3.00 बीघा था, जिसका खातेदारान के मध्य आपसी सहमति का बंटवारा स्वीकृति आदेशानुसार नामा. सं. 404 दिनांक 01.06.2008 के जरीय खसरा नं. 495/219 रकबा 0.15 बीघा सडक पर यानि उत्तरी भाग जिसके वर्तमान खसरा संख्या 468 रकबा 0.12 है. है व खसरा संख्या 587/219 रकबा 0.15 बीघा दक्षिणी भाग जिसके वर्तमान खसरा संख्या 467 रकबा 0.25 है राजस्व रिकोर्ड में अंकित हुआ था। परन्तु वर्तमान नये भूप्रबन्ध के दौरान खसरान भूमि का नक्शा उल्टफेर होकर उपरोक्त तीनों खसरान 467, 468, 469 की स्थिति सडक पर लगते नक्शा में गलत अंकित हो गई। नामान्तकरण संख्या 404 के द्वारा विभाजन हुआ जो पुराना नजरी नक्शा सही है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया राजस्व ग्राम बांठड़ी, पटवार हल्का बिंचावा तहसील डीडवाना में पुराने खेत खसरा संख्या 495/219, 587/219, 588/219 को ट्रेस नक्शा में दर्शाया अनुसार नये खसरा नम्बर 468, 469, 467 को ट्रेस नक्शा में सही नहीं दर्शाया गया है, नक्शा ट्रेस में गलत दर्शा दिया। जो राजस्व नक्शो में व अभिलेख में दर्शित है उक्त नये खसरे की प्रविष्टि को व नक्शा में अंकन को पूर्ण रूप से हटाया जाकर इसका नक्शा पूर्वानुसार अंकित करने दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार छोटीखाटू की रिपोर्ट के अनुसार गत राजस्व रेकर्ड संवत् 2065–68 के अनुसार खसरा संख्या 465/219 रकबा 3.00 बीघा था, जिसका खातेदारान के मध्य आपसी सहमति का बंटवारा स्वीकृति आदेशानुसार नामा. सं. 404 दिनांक 01.06.2008 के जरीय खसरा नं. 495/219 रकबा 0.15 बीघा सडक पर यानि उत्तरी भाग जिसके वर्तमान खसरा संख्या 468 रकबा 0.12 है. है व खसरा संख्या 587/219 रकबा 0.15 बीघा दक्षिणी भाग जिसके वर्तमान खसरा संख्या 467 रकबा 0.25 है राजस्व रिकोर्ड में अंकित हुआ था। परन्तु वर्तमान नये भूप्रबन्ध के दौरान खसरान भूमि का नक्शा उल्टफेर होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:06:17 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपरोक्त तीनों खसरान 467, 468, 469 की स्थिति सडक पर लगते नक्शा में गलत अंकित हो गई। नामान्तकरण संख्या 404 के द्वारा विभाजन हुआ जो पुराना नजरी नक्शा सही है। अतः वादी के पुराने व नये खसरे के नक्शा ट्रेस की भिन्नता के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। के अतः बाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद बांठड़ी, पटवार हल्का बिंचावा के नये खसरा नम्बर 468, 469, 467 के नक्शा ट्रेस को तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पुराने खेत खसरा संख्या 495/219, 587/219, 588/219 के नक्शा ट्रेस नक्शा में दर्शाया अनुसार रेकर्ड दुरूस्त बाबत वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार छोटीखाटू के पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/1220 दिनांक 15.07.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। तदनुसार रेकर्ड दुरूस्त हो।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **17.07.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:06:17 IST
Reason: SelfAttested